रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2015/आषाढ़ 6, 1937
No. 230] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2015/ASHADHA 6, 1937

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2015

सं. ए–12015/1/2015–एचआर/सीसीआई.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 17 की उप–धारा (3) के साथ पठित धारा 64 की उप–धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विषेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009 में निम्नलिखित और संषोधन करता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:–**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विषेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) संषोधन विनियम, 2015 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विषेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पष्चात् मूल विनियम कहा गया है) में [1];

(1) मूल विनियम में–

(क) विनियम 6 में विद्यमान परंतुक के ऊपर निम्नलिखित परंतुक जोडा जाएगा, अर्थातः–
"परंतु यह कि जब कभी आयोग द्वारा अनुसंधान अध्येताओं सहित विषेषज्ञों और वृत्तिकों के विभिन्न प्रवर्गों को संदत्त किए जाने वाले पारिश्रमिक की राषि में अनुसूची 3 में संषोधन के माध्यम से वृद्वि की जाती है तो अनुसंधान अध्येताओं सहित विद्यमान विषेषज्ञों और वृत्तिकों के पारिश्रमिक में भी उतनी ही राषि की वृद्वि की जाएगी (प्रवर्गवार पारिश्रमिक की राषि में वृद्वि) अनुसंधान अध्येताओं सहित विद्यमान विषेषज्ञों और वृत्तिकों के पारिश्रमिक से अनुसंधान अध्येताओं सहित ऐसे विद्यमान विषेषज्ञों और वृत्तिकों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक मुष्त मासिक पारिश्रमिक अभिप्रेत है [जिसके अंतर्गत संविदा (संविदाओं) के नवीकरण पर वेतनवृद्वि (वेतनवृद्वियां), यदि कोई हो, भी हैं]।"

(ख) विनियम 6 के विद्यमान परंतुक में "परंतु यह कि" षब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" षब्द रखे जाएंगें ।

(ग) अनुसूची – 3 में "एक मुष्त मासिक परिश्रमिक" से संबधित स्तंभों की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

अनुसंधान अध्येता सहित,	एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक

विशेषज्ञ और वृत्तिक का स्तर	
I	40,000 रुपए, नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिषत वृद्धि के साथ
II	60,000 रुपए, नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिषत वृद्धि के साथ
III	85,000 रुपए, नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिषत वृद्धि के साथ
IV	1,10,000 रुपए, नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिषत वृद्धि के साथ
V	1,35,000 रुपए, नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिषत वृद्धि के साथ

[विज्ञापन–III/4/असा./187–एम/15/(115)]

स्मिता झिंगरन, सचिव

1. मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 15 मई, 2009 में अधिसूचना सं. आर–40007/6 संब.–विषेषज्ञ/अधि./04/सीसीआई तारीख 15.05.2009 द्वारा प्रकाषित किया गया था ।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2015

No A-12015/1/2015-HR/CCI.—In exercise of the powers conferred by clause (d) sub-section (2) of Section 64, read with sub-section (3) of section 17 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to amend the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009, namely:—

1. **Short title and commencement.–**

    (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2015.

    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations)[1] :—

    (I) in the principal regulations—

    (a) in Regulation 6 the following proviso shall be added above the existing proviso:-

    "Provided that as and when the remuneration to be paid by the Commission to different categories of experts and professionals including research associates is increased by an amount through amendment in Schedule III, the remuneration of existing experts and professionals including research associates shall also be increased by such amount (amount of increase in remuneration category-wise). Remuneration of existing experts and professionals including research associates shall mean the lump sum monthly remuneration received by such existing experts and professionals including research associates [including increment(s) upon renewal of contract(s), if any]."

    (b) in the existing proviso in Regulation 6, after the word 'Provided' the word 'further' shall be added.

---

[1] The Principal Regulations were published vide Notification No R-40007/6/ Reg- Expert/ Noti/ 04- CCI dated 15.05.2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Dated 15th May, 2009

(c) in Schedule III, for the entries in columns relating to "Level of expert and professionals" and "Lump sum monthly remuneration" the following entries shall be substituted, namely:—

Level of expert and professional including research associate	**Lump sum monthly remuneration**
I	₹ 40,000 with 10 per cent increase on completion of each year.
II	₹ 60,000 with 10 per cent increase on completion of each year.
III	₹ 85,000 with 10 per cent increase on completion of each year.
IV	₹ 110, 000 with 10 per cent increase on completion of each year.
V	₹ 135, 000 with 10 per cent increase on completion of each year.

[ADVT-III/4/Exty./187-M/15/(115)]

SMITA JHINGRAN, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.